

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

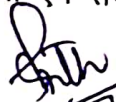
सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-41/2024-25

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
21/01/24	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) मोहन नापित पिता-स्व0 कोकिल नापित, जाति-नाई (हजाम), ग्राम-डेमुडीह, थाना-चास(मु0), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-डेमुडीह, पुराना खाता नं0-06, नया खाता-33, पुराना प्लॉट नं0-147, नया प्लॉट-327, रकवा-0.08 ए0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 368/भू0सु0, दिनांक 05.08.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1866 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान श्याम नापित के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान के द्वारा प्राप्त है। विक्रेता का रैयत से सम्बन्ध पितामह है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से विक्रेता का संबंध स्वयं है। 4. (क) विक्रेता ग्राम-डेमुडीह, थाना-चास(मु0), जिला-बोकारो का मूल निवासी है। (ख) क्रेता नं0 1 का ग्राम-गौरीग्राम, थाना-चन्दनकियारी, तथा 2 नं0 क्रेता का ग्राम-पोखन्ना टोला-काशीटांड, थाना-पिण्ड्राजोरा, दोनों जिला-बोकारो के मूल निवासी है। 5. बिक्रेता एवं क्रेतागण दोनों पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं, दोनों एक ही जिला के अंतर्गत आते हैं। 6. बिक्रेता एवं क्रेतागण दोनों पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। 7. बिक्रेता नाई (हजाम) जाति के हैं एवं क्रेता कुर्मी जाति के हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/ धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास कुल रकवा-1.00 एकड़ जमीन अवशेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 29 डी0 भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 33 पर मोहन नापित दीगर के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-01, पृष्ठ सं0-33 में अंकित है, जिसका लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किरम गोड़ा II है। 18. आवेदक को मौजा-डेमुडीह, पुराना खाता नं0-06, नया खाता-33, पुराना प्लॉट नं0-147, नया प्लॉट-327, रकवा-0.08 ए0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2022/354847 दिनांक 04.08.2022 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHLRCO/2024/481741 दिनांक 05.07.2024, JHRC/2017/511052 दिनांक-03.06.2017 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) मोहन नापित पिता-स्व० कोकिल नापित, जाति-नाई (हजाम), ग्राम-डेमुडीह, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-डेमुडीह, पुराना खाता नं०-06, नया खाता-33, पुराना प्लॉट नं०-147, नया प्लॉट-327, रकबा-0.08 ए० भूमि (क्रेता) 1. घल्टु महतो पिता-स्व० रामेश्वर महतो, जाति-कुर्मी(महतो), ग्राम-गौरीग्राम, थाना-चन्दनकियारी, 2. सुभद्रा कुमारी पति-संजय कुमार महतो, जाति-कुर्मी(महतो), ग्राम-पोखन्ना टोला-काशीटांड, थाना-पिण्ड्राजोरा, दोनों जिला-बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित,  भूमि सुधार उपसमिति चास।  भूमि सुधार उपसमिति, चास।	U.C. निकट क्रमांक 1 8/8/24